फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

खेमचन्द / नानगराम

संख्या : 01/2024 (इज.)

विशेष संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16/1/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ० उप०। प्रतिवादी अधिवक्ता के आज भी कोई बहस कुरैजात नहीं की है न्यायहित में एक अंतिम अवसर दिया जाता है आ.ता. पेशी पर बहस नहीं करने पर मौखिक कोशानुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावेगा। पत्रावली दिनांक 17/1/2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	
	17/1/2025	पत्रावली आज दिनांक 17/1/25 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/1/25 को पेश हो।	
	22/1/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ० उपस्थित। कुरैजात रिपोर्ट पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता के कुरैजात रिपोर्ट पर मौखिक आपत्ति की। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 29/1/2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	
	29/1/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ० उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता ने मौखिक आपत्ति कुरैजात पर की उक्त आपत्तियाँ खारिज की जाती हैं तथा वाद मुताबिक तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुरैजात रिपोर्ट [illegible] वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं [illegible] से लिखवाया गया। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.05 14:24:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : अंजू वर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 1/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक : 02.01.2024

1. बंशीधर
2. मोहनलाल
3. रामगोपाल

पुत्रान् विजयलाल, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीगण ग्राम बरना, तहसील आमेर, जिला जयपुर ग्रामीण (राज.)

.... **वादीगण**

बनाम

1. नानगराम
2. सीताराम

पुत्रान् भैरू लाल, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीगण ग्राम बरना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

3. उप–पंजीयक आमेर, जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय आमेर, जिला जयपुर ग्रामीण (राज.)

.........**प्रतिवादीगण**

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 29.01.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि वाके ग्राम बरना, पटवार हल्का बरना, भू–अभिलेख निरीक्षक राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित खसरा नंबर 529 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 530 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 531 रकबा 0.6100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 532 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 533 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 534 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 535 रकबा 1.2400 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.4200 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजी में वादीगण का 1/6–1/6 अर्थात कुल 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा अर्थात 1/2 हिस्सा निहित है। इसी के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 वर्तमान में भी काबिज है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 उपरोक्त वर्णित भूमि में मनबंट एवं वाहमी बंटवारे के अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर कृषि काश्त कर रहे है। वादीगण द्वारा कई बार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 से पूर्व में हुए मनबंट एवं बंटवारे की अमलीजामा पहनाने एवं उक्तानुसार उक्त आरजीयात् का विधिवत् बंटवारा किये जाने तथा उक्त कृषि भूमि में उनका हिस्सा उनके नाम लगवाने का निवेदन किया गया, लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 हर कोई ना कोई बहाना बनाकर तथा समय मिलने पर तकासमा करने का आश्वासन देते रहे। वादकारण सर्वप्रथम दिनांक 18.12.2023 को उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 द्वारा मौके पर आकर बंटवारे से पूर्व उक्त आराजी को बेचान करने एवं वादीगण को जबरन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.05 14:24:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

बेदखल करने की धमकी दे गये, तब से लगातार प्रतिक्षण जारी है। वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बाबत् तकासमा कृषि भूमि डिक्री किया जाकर वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजी कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर पूर्व में हुए वाहमी बंटवारे एवं मौके पर क़ब्जे के अनुसार विधिवत् बंटवारा किया जाकर वादीगण को उपरोक्त खसरा नंबरान् में 1/2 अलग हिस्सा दिलवाया जाये।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने जाहिर किया कि वे जवाब दावा पेश नहीं करना चाहते है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाब का अवसर बंद किया गया। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वाद बंटवारे का है अतः प्राथमिक डिक्री जारी की जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने भी जाहिर किया कि रास्ते का प्राथमिक डिक्री में ध्यान रखा जावे तथा कुंअे को शामालाती रखा जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जावे। वादी का वाद बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिकी किया गया तदनुसार तहसीलदार जालसू जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम बरना, पटवार हल्का बरना, भू–अभिलेख निरीक्षक राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित खसरा नंबर 529 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 530 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 531 रकबा 0.6100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 532 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 533 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 534 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 535 रकबा 1.2400 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.4200 हैक्टेयर भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2024 /1699 दिनांक 13.08.2024 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को कुर्रेजात पर बहस व आपत्ति हेतु अवसर दिया गया। प्रतिवादीगण ने दिनांक 05.09.2024 को आपत्ति पेश करने हेतू अवसर चाहा अवसर दिया गया तथा उसके बाद प्रतिवादीगण ने लगभग 14 पेशीयो से आपत्ति कुर्रेजात पेश नहीं की गई। दिनांक 22.01.2025 को प्रतिवादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस की तथा दौराने बहस कुर्रेजात पर आपत्ति की [illegible] उक्त कुर्रेजात में हिस्सा सही नहीं बांटा गया तथा कुंऐ पर जाने के लिए [illegible] है अतः पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.05 14:24:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी [illegible] एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार जालसू द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी मे उभयपक्ष को अपने हिस्सेनुसार विभाजन प्रस्ताव में हिस्सा दिया गया है तथा पक्षकारान को उनके हिस्सेनुसार रास्ते की ओर समुचित व्यवस्था करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। तथा कुआं सार्वजनिक नहीं होकर शामलाती है तथा उभयपक्ष की भूमियां कुवे पर लगती हुई है। जिससे यह नहीं कहां जा सकता की कुवे पर जाने का रास्ता नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के संबंध में कोई न्याय संगत ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया कि पक्षकारान को उसके हिस्से से अधिक भूमि दिया जाना प्रस्तावित किया हो अथवा रास्ते की समुचित व्यवस्था नही हों। तहसीलदार जालसू द्वारा विधिवत राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये कुर्रेजात भेजे गये है। प्रतिवादीगण द्वारा अब इस स्तर पर यह नहीं कहां जा सकता कि बंटवारे के अनुसार कुर्रेजात नहीं बने। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्तिया विधि सम्मत नहीं है, ऐसी सुरत में आपत्तिया पोषणीय नहीं है। अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. बंशीधर पुत्र विजयलाल हिस्सा 1/3 जाति बागडा ब्राहम्ण राहिन हि. 121/464 एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा जयपुर विद्याधर नगर, मोहनलाल पुत्र विजयलाल हि. 1/3 जाति बागडा ब्राहम्ण राहिन हि. 121/464 एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा जयपुर विद्याधर नगर, रामगोपाल पुत्र विजयलाल हि. 1/3 कौम बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 530/1 रकबा 3950 हैक्टेयर, खसरा नंबर 532 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 533 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 531/1 रकबा 0.5750 हैक्टेयर, खसरा नंबर 535/1 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.1600 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. नानगराम पुत्र भैरूलाल हि. 1/2 जाति बागडा ब्राहम्ण राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू, सीताराम पुत्र भैरूलाल हि. 1/2 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 535/2 रकबा 1.1600 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.1600 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. बंशीधर पुत्र विजयलाल हिस्सा 1/6, मोहनलाल पुत्र विजयलाल हिस्सा 1/6, रामगोपाल पुत्र विजयलाल हि. 1/6, सीताराम पुत्र भैरूलाल हि. 1/4, नानगराम पुत्र भैरूलाल हि. 1/4 राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू जाति बागडा, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 529 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 534 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 531 रकबा 0.0350 हैक्टेयर, खसरा नंबर 530/2 रकबा 0.0250 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.05 14:24:11 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अंजु वर्मा
आर.ए.एस

वाद प्रस्तुति दिनांक : 02.01.2024

नियमित वाद संख्या 1/2024

1. बंशीधर
2. मोहनलाल
3. रामगोपाल

पुत्रान् विजयलाल, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीगण ग्राम बरना, तहसील आमेर, जिला जयपुर ग्रामीण (राज.)

.... वादीगण

बनाम

1. नानगराम
2. सीताराम

पुत्रान् भैरू लाल, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीगण ग्राम बरना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

3. उप–पंजीयक आमेर, जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय आमेर, जिला जयपुर ग्रामीण (राज.)

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. बंशीधर पुत्र विजयलाल हिस्सा 1/3 जाति बागडा ब्राहम्ण राहिन हि. 121/464 एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा जयपुर विद्याधर नगर, मोहनलाल पुत्र विजयलाल हि. 1/3 जाति बागडा ब्राहम्ण राहिन हि. 121/464 एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा जयपुर विद्याधर नगर, रामगोपाल पुत्र विजयलाल हि. 1/3 कौम बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 530/1 रकबा 3950 हैक्टेयर, खसरा नंबर 532 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 533 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 531/1 रकबा 0.5750 हैक्टेयर, खसरा नंबर 535/1 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.1600 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. नानगराम पुत्र भैरूलाल हि. 1/2 जाति बागडा ब्राहम्ण राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू, सीताराम पुत्र भैरूलाल हि. 1/2 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 535/2 रकबा 1.1600 हैक्टेयर किता 1 रकबा 1.1600 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. बंशीधर पुत्र विजयलाल हिस्सा 1/6, मोहनलाल पुत्र विजयलाल हिस्सा 1/6, रामगोपाल पुत्र विजयलाल हि. 1/6, सीताराम पुत्र भैरूलाल हि. 1/4, नानगराम पुत्र भैरूलाल हि. 1/4 राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू जाति बागडा, सा. देह खातेदार के हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.05 14:24:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 1/2024
बउनवानी – बंशीधर बनाम नानगराम वगै0
निर्णय दिनांक :–29.01.2025

खसरा नंबर 529 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 534 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 531 रकबा 0.0350 हैक्टेयर, खसरा नंबर 530/2 रकबा 0.0250 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.01.2025 को जारी किया।

दस्तखत–––
ओहदा–––

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.05 14:24:11 IST
Reason: SelfAttested